भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1756
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर सीआईएसएफ कार्मिकों की संवीक्षा

1756. सुश्री कंगना रनौत:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विमानपत्तनों पर सीआईएसएफ कार्मिकों की संवीक्षा करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सीआईएसएफ कार्मिकों पर कुछ नकारात्मक तत्वों या गतिविधियों के प्रभाव के कारण यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): हवाईअड्डों पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों के पेशेवर आचरण को सुनिश्चित करने के लिए सीआईएसएफ में निम्नलिखित उपाय हैं, जिनमें शामिल हैं:

i) सीआईएसएफ ने एक व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, एक वेब-आधारित परियोजना विकसित की है, जहां पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा तैनात कर्मियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रोफ़ाइल को अद्यतन किया जाता है।

ii) सभी सीआईएसएफ कार्मिकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल शीट और डोजियर यूनिट स्तर पर बनाए रखा जाता है और उसे अगली तैनाती स्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रोफाइल शीट में विशिष्ट टिप्पणियों/समीक्षा को सार्वजनिक इंटरफेस पर तैनात करते समय ध्यान में रखा जाता है।

iii) कुछ नकारात्मक तत्वों की संलिप्तता/प्रभाव के बारे में जानने के लिए यूनिट/जोन/सेक्टर स्तर पर सीआईएसएफ कर्मियों की सोशल मीडिया मानीटरिंग की जाती है।

iv) सीआईएसएफ कार्मिकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक यूनिट/हवाईअड्डे पर मेंटर और बडी पेयर प्रणाली भी लागू की गई है।

v) सीआईएसएफ कार्मिकों को नियमित रूप से व्यवहार पहचान/सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाता है।

vi) सीआईएसएफ कार्मिकों को अपने कर्तव्यों को परिश्रमपूर्वक और पेशेवर ढंग से निभाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने और प्रेरणा देने के लिए यूनिट स्तर पर नियमित रूप से प्रेरणात्मक और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं।

*****